प्र.क्रमांक-/निग०5547/2018/सीधी/ 123

(247)

राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा

अध्यक्ष

न्यायालय श्री मान [illegible] महोदय [illegible] म०प्र०

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

शेषमणि मिश्रा तनय रघुनाथ मिश्रा उम्र 40 साल पेशा- कृषि निवासी ग्राम बढौरा तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र० .... निगरानीकर्ता

बनाम

1- बालमीक प्रसाद तिवारी तनय श्री पंचमराम तिवारी उम्र 58 साल पेशा- सेवा निवृत्त निवासी कुबरी तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र०

2- सोनिया मिश्र पत्नी स्व० श्री अर्जुन प्रसाद मिश्रा उम्र 45 साल पेशा- खेती एवं गृह कार्य । निवासी बढौरा (टोला बनिया टोल) तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र० ... गैर निगरानीकर्ता गण

अधि० श्री नागेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा पेश। 11.9.18

[stamp: [illegible] राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा]

निगरानी अन्तर्गत आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र० का प्रकरण क्रमांक 0023/अ5/17-18 आदेश दिनांक 11.7.18 बालमीक प्रसाद तिवारी बनाम शासन म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

1- यह कि निगरानीकर्ता ग्राम बढौरा पटवारी हल्का बढौरा तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र० का मूल निवासी है । तथा निगरानी सुदा आराजी नं. 1904 रकबा 0.26 है० आराजी नं. 1979 रकबा 0.41 है० तथा आराजी नं. 2133 रकबा 1.55 है०, स्थित ग्राम बढौरा पटवारी

क्र..

(123)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग० 15547/प्र.अ./2018 जिला सीधी

प्रेमनाथ मिश्रा विरूद्ध बाल्मीक प्रसाद

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री नागेन्द्रमणि त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील गोपद बनास के प्रकरण क्रमांक 23/अ-5/17-18 में पारित आदेश दिनांक 11-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	